समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–116/2022–23
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
संजीत कुमार एवं अन्य
–::आदेश::–

03.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–09/2023, दिनांक–06.02.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि बोकारो थर्मल थाना कांड सं0–50/2019, दिनांक–19.04.2019, धारा–379/411/414/34 भा0द0वि0, 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रक पंजीयन सं0–JH09Q-0694 एवं उस पर लदा लगभग 05 टन अवैध कच्चा कोयला खनिज वाहन मालिक श्री संजीत कुमार पिता प्रहलाद प्रसाद, सा0 क्वा0 नं0–एम0 270, ब्लॉक–17, सेन्ट्रल कॉलोनी, चन्द्रपुरा, मकौली जिला बोकारो 2. ट्रैक्टर ईंजन सं0–E3419937, Ch.No. TOR3374090LG एवं उस पर लदा लगभग 02 टन अवैध कच्चा कोयला वाहन मालिक बिनोद यादव पिता दुलारचन्द यादव, सा0+पो0–खेतको थाना पेटरवार, जिला बोकारो के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं अवैध 07 टन कच्चा कोयला को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि पुलिस निरीक्षक–सह–थाना प्रभारी, बोकारो थर्मल थाना, बोकारो को दिनांक–19.04.2019 को सूचना मिली कि जारंगडीह CCI, VT Centre के सामने निर्माणाधीन पानी टंकी के पीछे बंद पड़े भूमिगत खदान के पास कोयला तस्कर ट्रैक्टर से कोयला इकट्ठा कर ट्रक में लाद कर बाहर के मंडियों में बिक्री करने के लिए ले जाने की तैयारी में है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा छापामारी किया गया तो बिना नं0 का एक ट्रैक्टर तथा एक ट्रक जिसका रजि0सं0–JH09Q-0694 एवं

Scanned with OKEN Scanner

ट्रैक्टर का चालक को गिरफ्तार किया गया। शेष लोग अन्धेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर पकड़े गए ट्रैक्टर चालक से बरामद कोयला एवं गाड़ी के कागजात माँगे जाने पर किसी भी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पुछताछ के क्रम में पता चला कि जारंगडीह तथा कथारा के कोलयरी से चोरी किए कोयला को अवैध तरीके से ट्रैक्टर के द्वारा इकट्ठा कर बाहर के मंडियों में बेचा जाता है। फलस्वरूप जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला तथा वाहन के मालिक/चालक के विरूद्ध बोकारो थर्मल थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में प्रतिवादियों (वाहन के मालिकों) को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित। प्रतिवादी सं0–2 उनके द्वारा अपने बचाव अब तक किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है।

प्रतिवादी सं0–1 की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी संजीत कुमार ट्रक पंजीयन सं0–JH09Q-0694 के मालिक है और निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। विपक्षी के द्वारा कभी भी अवैध रूप से कोयले का परिवहन नहीं किया गया है। पुलिस के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध धारा–379/411/414/34 भा0द0वि0, 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत वाद दायर किया गया है। 30(ii) कोल माईन्स एक्ट स्पेशल एक्ट है इसलिए इस वाद में धारा–379/411/414/34 भा0द0वि0 लागू नहीं होता है। जप्ती के समय वाहन खाली अवस्था में था, किन्तु सूचक के द्वारा मात्र संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि मान्नीय न्यायालय A.C.J.M. Bermo At Tenughat के द्वारा Cri. Misc. Petition No. 1776/21 में दिनांक–04.03.2022 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत वाहन सं0–JH09Q-0694 को

Scanned with OKEN Scanner

(कोयला छोड़कर) सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0–1 की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से अधिहरण की कार्यवाही हेतु वाद दायर करने के पूर्व ही बोकारो थर्मल थाना कांड सं0–50/2019, दिनांक–19.04.2019 धारा–379/411/414/34 भा0द0वि0, 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत जप्त वाहन सं0–JH09Q-0694 (कोयला छोड़कर) को मान्नीय न्यायालय A.C.J.M. Bermo At Tenughat के द्वारा दिनांक–04.03.2022 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। वाहन पर लदा कोयला के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं0–2 सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे है। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी तरह का कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर ईंजन सं0–E3419937, Ch.No. TOR3374090LG एवं उस पर लदा लगभग 02 टन अवैध कच्चा के विमुक्ति पर विचार किया जा सके। स्पष्टतः उक्त वाहन के मालिक को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। बिना वैध कागजात के कोयले का अवैध परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। अतः जप्त वाहन को अवैध रूप से कोयला का खनन कर परिवहन करने के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी–2 को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में इस वाद को और आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–09/2023, दिनांक–06.02.2023 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए 1. ट्रक पंजीयन सं0–JH09Q-0694 पर लदा लगभग 05 टन अवैध कच्चा कोयला (वाहन छोड़कर) तथा 2. ट्रैक्टर ईंजन

Scanned with OKEN Scanner

6

सं0–E3419937, Ch.No. TOR3374090LG एवं उस पर लदा लगभग 02 टन अवैध कच्चा कोयला को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि जप्त कुल 07 टन अवैध कोयला को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चत करेंगें। उपरोक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

03.7.23 — समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।

03.7.23 — समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.15 17:39:46 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with OKEN Scanner